संख्या-108/2018/3656 ई-2/तेरह-2018-110/2014

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 07 दिसम्बर,2018

विषयः-बारबीक्यू नेशन, हॉस्पीटिलिटी लि0, तृतीय तल, जे0एच0वी0 माल, द माल रोड कैण्ट, वाराणसी को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-3381/जि0आ0अ0/बार अनु0/एफ0एल0-7 बार/18-19, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 11-10-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-128/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल0-6,7/बारबीक्यू नेशन/वाराणसी/2018-19, दिनांक 13 नवम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त बारबीक्यू नेशन, हॉस्पीटिलिटी लि0 द्वारा संचालित होटल "बारबीक्यू नेशन" हॉस्पीटिलिटी लि0, तृतीय तल, जे0एच0वी0 माल, द माल रोड कैण्ट, वाराणसी को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-108/2018/3656(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-128/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल0-6,7/बारबीक्यू नेशन/वाराणसी/ 2018-19, दिनांक 13 नवम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।